[भारत के राजपत्र**,** असाधारण के भाग ।।**,** खंड 3**,** उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ**]**

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या**. 5**/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, **24** जनवरी, 2019

सा.का.नि.....(अ).- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'मेटाफिनायलीन डायामाइन' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मार्च, 2014, जिसे सा.का.नि. 179(अ) दिनांक 11 मार्च, 2014 के तहत भारत के राजपत्र**,** असाधारण के भाग ।।**,** खंड 3**,** उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आंकलन तथा उन प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/2/2018-डीजीएडी, दिनांक 26 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र**,** असाधारण के भाग ।**,** खंड 1 में प्रकाशित, समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और जहाँ कि केन्द्र सरकार ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 247(अ), दिनांक 20 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र**,** असाधारण के भाग ।।**,** खंड 3**,** उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था, के तहत 21 मार्च, 2019 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/2/2018-डीजीएडी, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018, जिसे भारत के राजपत्र**,** असाधारण के भाग 1**,** खंड 1**,** में दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि;

(i) चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयात का हिस्सा यहाँ घरेलू बाजार में बहुत अधिक है;

(ii) चीन जनवादी गणराज्य से विषयगत वस्तु की भरमार लगातार बनी रही है और यदि इस पर प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इस भरमार के आगे भी जारी रहने की संभावना है;

(iii) तादात के प्रतिमान की दृष्टि से भी घरेलू उद्योग में यदि कोई सुधार होता भी है तो भी घरेलू उद्योग का बाजार में हिस्सा सुधर नहीं सका था और इसका हिस्सा आयात के हिस्से से बहुत कम रहा था। इसके अलावा मूल्यगत पैरामीटर की दृष्टि से भी इसके कामकाज में इस हद तक गिरावट आयी है कि घरेलू उद्योगों को वित्तीय हानि उठानी पड़ी है, इसकों नगद घाटा हुआ है और निवेश पर भी ऋणात्मक प्रतिफल मिला है। घरेलू उद्योग का विकास प्रतिकूल रहा है। घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है;

(iv) इस भरमार के जारी रहने और इससे घरेलू उद्योग को लगातार क्षति होने की संभावना है;

और जहां कि घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18**,** 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र

सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क के आधार पर आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र. सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	29215120 या 29215190	मेटाफिनायलीन डायामाइन (एमपीडीए), जिसे एम-फिनायलीन डायामाइन के नाम से भी जाना जाता है, 1, 3-डायमीनोबेन्जीन, 1,3-बेन्जीनडायामइन, एम-अमीनोएनीलाइन, एम-बेंजीनडायामाइन, एम-डायामीनोबेनजीन, 1, 3-फिनायलीनडायामाइन , 3-एमीनोएनीलाइन, एम-फिनायलीनडायामाइन, फिनायलीनडायामाइन और एम-अमीनोएलाइन, फिनायलीनडायामानइन मेटा ।	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	सिसुआंन नार्थ हांगगुआंग स्पेशल कैमिल्स कंपनी लिमिटेड	716.13	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	29215120 या 29215190	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेंजिंयांग अमीनो-केम कं. लि.	573.92	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	29215120 या 29215190	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	उपर्युक्त 1 और 2 पर उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	1015.44	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	29215120 या 29215190	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी	कोई भी	1015.44	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

क्र. सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
			से भिन्न कोई भी देश	गणराज्य				

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया जाने वाला प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, **1962 (1962** का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या**. 354/26/2013 –**टीआरयू (पार्ट-1**]**

(गुंजन कुमार वर्मा**)**
अवर सचिव, भारत सरकार